अध्याय ।

राजस्व विभाग - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनो में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनो में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व. 16) और वि.व. 15 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है ।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	वि.व. 16	**वि.व. 15**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,200	16,66,717
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*7,42,012*	*6,95,792*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*7,13,879*	*5,49,343*
iii. *गैर-कर प्राप्तियां*	*4,84,428*	*4,19,982*
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	*1,881*	*1,600*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[1]	42,132	37,740
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[2]	41,878	26,547
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[3]	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**63,43,160**	**59,49,200**

स्रोत: संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे । अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्तीय लेखे से की गई है । कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपी गई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व 16 में ₹ 5,06,193 करोड़ शामिल है ।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व.15 में ₹ 59,49,200 करोड़ से वि.व.16 में ₹ 63,43,160 करोड़ की वृद्धि हुई । वि.व.16 में, उसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 14,55,891 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 19,42,200

[1] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश और अन्य उपक्रम और अन्य प्राप्तियां शामिल है;

[2] संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की वसूली

[3] आंतरिक रूप के साथ-साथ बाहरी रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां;

करोड़ थी जिसमें से अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 7,13,879 करोड़ थी।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्नलिखित हैं:

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क: केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार हैं। (संविधान की सातंवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ख) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 15 प्रतिशत (जिसमें 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर तथा 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर सम्मिलित है) की दर से कर लगाया जाएगा और उस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित[4] किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि

[4] धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है।

(उसमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा[5] सम्मिलित है।

ग) **सीमाशुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता हैं। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) ।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निदेशन एवं नियंत्रण के तहत कार्य करता है और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानून का प्रशासन सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यकारी कमिश्नरी के माध्यम से किया जाता हैं । इस उद्देश्य हेतु, देश को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों में बांटा गया हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के इन 27 जोनो के अंतर्गत आयुक्त की अध्यक्षता में 83 संयुक्त कार्यकारी कमिश्नरी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर दोनो की चर्चा करते है, 36 विशेष केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां तथा 22 विशेष सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरी है। डिवीजन और रेंज क्रमश: उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक की अध्यक्षता में अगली इकाईयां हैं। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा, विशेष कार्य करने के लिये आठ बड़ी कर भुगतान करने वाली इकाइयां (एलटीयू) कमिश्नरियाँ, 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ और 20 महानिदेशालय /निदेशालय हैं ।

01 जनवरी 2016 तक सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 91,756[6] है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट ।** में दर्शाया गया है।

---

[5] वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाएं सूचीबद्ध हैं।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी - सीएसओ का प्रेस नोट[7]

यह देखा गया कि वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के अनुपात के रूप में और सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 12 से वि.व. 16 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

---

[6] मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

[7] केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2016 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट । यह दर्शाता है कि वि.व 14 और वि.व 15 हेतु जीडीपी के लिये आंकडे नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर है और वि.व 16 के ऑकडे विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं । वि.व 12 और वि.व 13 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं । आंकड़ो को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा हैं और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं ।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि.व.12	90,09,722	1,44,901	1.61	97,509	1.08	1,49,328	1.66
वि.व.13	99,88,540	1,75,845	1.76	1,32,601	1.33	1,65,346	1.66
वि.व.14	1,13,45,056	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36	1,72,085	1.52
वि.व.15	1,25,41,208	1,89,038	1.51	1,67,969	1.34	1,88,016	1.50
वि.व.16	1,35,76,086	2,87,149	2.12	2,11,415	1.56	2,10,338	1.55

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

वि.व. 16 के दौरान जीडीपी की प्रतिशता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के अंश में वृद्धि हुई।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.12 से वि.वि.16 के दौरान समेकित और जीडीपी में केंद्रीय उत्पाद राजस्व का रुझान दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व
वि.व.12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,44,901	1.61	16.30	36.90
वि.व.13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.76	16.97	37.04
वि.व.14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,69,455	1.49	14.88	34.07
वि.व.15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,89,038	1.51	15.18	34.61
वि.व.16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,87,149	2.12	19.72	40.44

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं ।

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में जीडीपी सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में वि.व 16 के दौरान वृद्धि हुई और इसने वि.व 16 में सकल कर राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ

एक विनिर्माता इनपुटों या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.5: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां : पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि #	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व.12	1,44,901	5.23	2,14,014	25.85	147.70
वि.व.13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व.14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
वि.व.15	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30
वि.व.16	2,87,149	51.90	3,10,335	6.01	108.07

स्रोत: #संघ वित्त लेखे * मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में 51.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। सेनवेट क्रेडिट से भुगतान में पिछले पांच वर्षो के दौरान पीएलए में वि.व 12 में 148 प्रतिशत से वि.व 15 में 154 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा वि.व 16 में 108 प्रतिशत तक कमी हुई जो प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पादो पर शुल्क में वृद्धि के कारण है।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 16) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।

चार्ट 1.1: विव 16 में प्रमुख वस्तुओं का राजस्व भाग

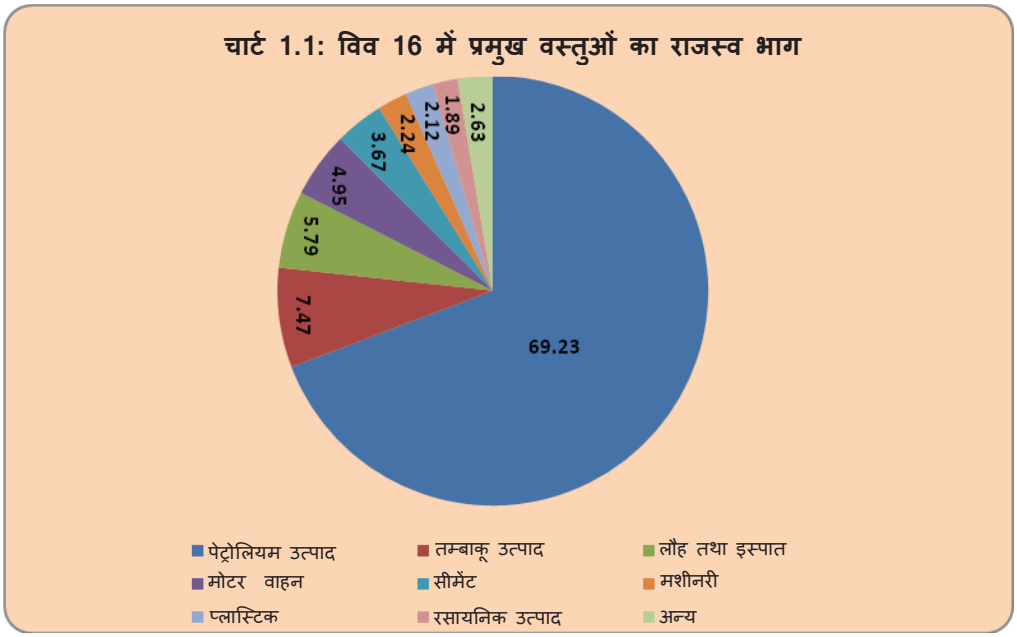

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि पेट्रोलियम (69.23 प्रतिशत), तंबाकू उत्पाद (7.47 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (5.79 प्रतिशत), मोटर वाहन (4.95 प्रतिशत), सीमेंट (3.67 प्रतिशत), मशीनरी उत्पाद (2.24 प्रतिशत), प्लास्टिक (2.12 प्रतिशत) तथा रसायन उत्पाद (1.89 प्रतिशत) उच्चतम राजस्व अर्जक थे और इनका वि.व 16 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का 97.37 प्रतिशत योगदान था ।

तालिका 1.6 पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएँ	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14	वि.व. 15	वि.व. 16
पेट्रोलियम उत्पाद	74,112	84,188	88,065	1,06,653	1,98,793
तम्बाकू उत्पाद	15,682	17,991	16,050	16,676	21,463
लौह एवं इस्पात	13,813	17,603	17,342	15,970	16,632
मोटर वाहन	7,447	10,038	8,363	8,546	14,220
सीमेंट	8,952	10,712	10,308	9,572	10,544
मशीनरी	3,452	4,559	3,761	3,707	6,421
प्लास्टिक	2,931	4,259	4,298	5,150	6,092
रासायनिक उत्पाद	3,443	4,872	4,845	5,103	5,419

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि वि.व 16 के दौरान, पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में काफी वृद्धि है क्योंकि पिछले दो वर्षो के दौरान पेट्रोल तथा हाईस्पीड डीजल पर विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 1.2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.46 प्रति लीटर से क्रमशः ₹ 8.95 प्रति लीटर तथा ₹ 7.96 प्रति लीटर बढ गया।

1.9 कर आधार

"निर्धारिती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या जो उत्पाद शुल्कयोग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्त्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं।

तालिका 1.7 पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या दर्शाती हैं:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी फाइल की	निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि.व.12	3,81,439	-	1,45,667	38
वि.व.13	4,09,139	7.26	1,61,617	40
वि.व.14	4,35,213	6.37	1,65,755	38
वि.व.15	4,67,286	7.37	1,72,776	37
वि.व.16	4,98,273	6.63	1,83,501	37

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है। तथापि, केवल 37 प्रतिशत के लगभग निर्धारिती विवरणी फाइल कर रहे हैं। मंत्रालय को इसके कारणों की जॉच करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा इस वर्ष प्रस्तुत किया गया पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए डाटा तथा सीएजी की 2016 की रिपोर्ट सं. 2 में बताए गए डाटा से मेल नहीं खाता।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और तदनुरूपी वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन*	संशोधित बजट आकलन*	वास्तविक प्राप्तियाँ#	वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर की %	वास्तविक और आरई के बीच अंतर की %
वि.व.12	1,64,116	1,50,696	1,44,901	(-)19,215	(-)11.71	(-)3.85
वि.व.13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व.14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62
वि.व.15	2,07,110	1,85,480	1,89,038	(-)18,072	(-)8.73	(-)1.92
वि.व.16	2,29,809	2,84,142	2,87,149	57,340	24.95	(+)1.06

स्रोत: *संघ प्राप्ति बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा गया कि वि.व. 16 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट प्राकलन से 24.95 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तथा संशोधित अनुमान की तुलना में अन्तर 1.06 प्रतिशत तक बढ़ा है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोडा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती हैं। छोडे गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार पर विनिर्दिष्ट होती हैं- **छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब - **छोडा गया राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, छोडा गया राजस्व शून्य होगा।

पूर्वोक्त धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी

अधिकार है। तथापि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों का निपटान है। इस प्रकार, परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के प्रति विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना नहीं की जा रही हैं।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षो के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार छोडे गये राजस्व से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क के ऑकडों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल छोडा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां#	छोडा गया राजस्व*	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में छोडा गया राजस्व
वि.व.12	1,44,901	1,95,590	134.98
वि.व.13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व.14	1,69,455	1,96,223	115.80
वि.व.15	1,89,038	1,96,789	104.10
वि.व.16	2,87,149	2,24,940	78.34

स्रोत: *संघ प्राप्तियां, बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा गया है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 16 के लिए छोडा गया राजस्व ₹ 2,24,940 करोड़ था (सामान्य छूट के रूप में ₹ 2,05,940 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 19,000 करोड़) था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 78.34 प्रतिशत है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा में एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मुख्य

कार्य है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार प्राप्त संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में रेंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/डिप्टी कमिश्नर को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.12.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यर्थाथता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

तथ्य यह है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्तूबर 2011 से प्रारम्भ किया गया है तथा इसीलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2014-15 तक स्थिर हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमबल प्रदान करना था जो बाद में रेंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

तालिका 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसीईएस में फाइल की गई विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी* हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत	आरएण्डसी के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या	सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों का %
वि.व.14	12,65,913	11,79,583	93.18	10,03,789	2,81,686	23.88
वि.व.15	13,18,880	12,31,714	93.39	9,57,712	2,74,002	22.24
वि.व.16	13,88,572	12,93,987	93.19	8,36,728	4,57,259	35.34

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*आर एंड सी - समीक्षा तथा सुधार

वि.व. 14 एवं वि.व. 15 से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए समान डाटा से मेल नहीं खाता। संवीक्षा की गई विवरणियों की आरएण्डसी हेतु बढी हुई उच्च प्रतिशतता तथा परिणामस्वरूप सुधार कार्यवाही के लिए लम्बित विवरणियों की बडी संख्या एसीईएस प्रणाली में कमियों की द्योतक है। इतनी अधिक विवरणियों को आर एण्ड सी हेतु चिन्हित करना विभागीय अधिकारी के कार्यभार को बढा देगा जबकि आनलाइन प्रणाली का उद्देश्य इसे कम करना था। यह वि.व. 16 के अन्त में 35 प्रतिशत विवरणियों के लम्बन से प्रमाणित है जो वि.व. 15 में लम्बन का लगभग डेढ़ गुना है। चूंकि आरएण्डसी रेंज स्तर पर किया जाता है तथा 2,518 रेंज केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं, अत: औसतन केवल 514 (वि.व. 16) आरएण्डसी एक रेंज द्वारा एक वर्ष में किये जाते हैं। सभी मामलों में आर एण्ड सी करने के लिए रेंजों को निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

1.12.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैद्यता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की सं. जहां विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहॉ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी।	लंबन का अवधि-वार विघटन		
				6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियॉ	1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियॉ	2 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियॉ
वि.व.14	6,379	4,914	1,465	1,022	254	205
वि.व.15	9,132	6,728	2,404	2,239	267	208
वि.व.16	डीएनपी*	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*डीएनपी- वि.व 16 के लिए केवल पांच माह का डाटा उपलब्ध कराया गया।

यह देखा गया है कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 तथा वि.व. 15 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे लेखापरीक्षा को उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ।

इसके अलावा, वि.व. 16 से संबंधित प्रदत डाटा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संख्या के विवरण के साथ केवल पांच माह अर्थात नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक से संबंधित है तथा विस्तृत संवीक्षा को संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या के ब्यौरे के बिना तथा समय वार विश्लेषण के बिना दिया गया है। अत: अंशत: सूचना के कारण, लेखापरीक्षा विस्तृत संवीक्षा आरम्भ पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

1.13 प्रतिदाय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर छूट के साथ-साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन की तिथि से तीन महीने

के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के प्रतिदाय संबंधी निष्पादन का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ओबी सहित दावे		वर्ष के दौरान निपटान						अन्त: शेष	
			वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय		90 दिनों के भीतर निपटाएं गऐ मामले	लम्बित निपटान	मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया			
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज	मामलों की संख्या	राशि
वि.व.14	2,70,321	28,461	2,09,549	11,875	1,98,256	64,215	241	91	60,754	4,714
वि.व.15	2,47,196	डीएनपी*	2,04,353	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	42,843	30,714
वि.व.16	4,18,760	35,707	3,73,062	29,356	3,24,340	डीएनपी	3	0.01	45,698	6,351

स्रोत:मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*डीएनपी-डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा गया कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करना विभाग का एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान संबंधी प्रावधानों को सही प्रकार लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा के सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय कुछ आंकडे उपलब्ध कराने में विफल हुआ जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है उपलब्ध कराया गया डाटा गलत भी प्रतीत होता है क्योंकि वि.व. 16 के लिए अन्तः शेष में मामलों की सख्या वि.व. 15 से बढ़ गई है परन्तु राशि 80 प्रतिशत कम हो गई है।

1.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं है: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व -तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति व्यापार रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों का निर्माण, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/डिविजनल सहायक कमिश्नर के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, समेकन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकोल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, जोखिम प्रबंधन नियमपुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटी जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमपुस्तक के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली।

तालिका 1.13 लेखापरीक्षित इकाईयों (वि.व. 16 के दौरान) की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए नियत केंद्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.13: वि.व. 16 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	देय इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (%)
बड़ा	4,874	2,720	44.19
मध्यम	7,204	3,777	47.57
लघु	11,442	4,739	58.58

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

मंत्रालय ने अक्तूबर 2015 से मार्च 2016 अर्थात केवल छः माह के लिए आंकडे प्रस्तुत किए। यह देखा गया है कि उक्त छः माह के दौरान, इकाईयों की सभी श्रेणियों में नियत लेखापरीक्षाओ की तुलना में की गई आन्तरिक लेखापरीक्षाओं में भारी कमी आई थी।

विभाग द्वारा की गई, लेखापरीक्षा के परिणाम को तालिका 1.14 में तालिकाबद्ध किया गया हैं।

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूल की गई राशि

(₹ करोड में)

वर्ग	पता चले कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
बड़ा	2,084	605
मध्यम	564	249
लघु	257	133
कुल	**2,905**	**987**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए ऑकडे

यह देखा गया है कि बडी इकाईयों में पता लगी तथा वसूली गई कम उदग्रहण की राशि मध्यम लथा लघु इकाईयों की तुलना में काफी अधिक है। मंत्रालय को सभी बडी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस वर्ष 'आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता' पर एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई है जिसे अध्याय ।।। में सम्मिलित किया गया है।

1.15 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे अपील में गया विभाग, न्यायालय से आदेश, सीएजी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया कि कॉल बुक की समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

तालिका 1.15 हाल ही के वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक समाशोधन के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्त: शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधि बार विघटन		
						6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.14	30,966	9,624	4,126	36,464	64,356	6,179	3,419	26,866
वि.व.15	35,617	9,552	8,846	36,323	65,765	4,841	2,276	29,206
वि.व.16	37,018	7,437	7,994	36,461	64,260	5,157	2,479	28,394

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मदों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से मॉनिटरिंग आवश्यकता को दर्शाती है। वि.व. 16 के दौरान, कॉल बुक में लम्बित मामलों की संख्या 36,461 तक पहुंच गई थी जिसमें ₹ 64,260 करोड़ का राजस्व शामिल था। आगे यह भी पाया गया है कि पिछले वर्षों का अन्त: शेष आदि शेष से मेल नहीं खाता।

1.16 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

हम अध्याय । में मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर सेवा कर बकायो पर प्रत्येक वर्ष टिप्पणी करते है। हालांकि, इस वर्ष इस विषय पर एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई है तथा सभी निष्कर्षों को अध्याय ।। में शामिल किया गया है।

1.17 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों की केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि कमिश्नरियां, अपने क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.16 विगत तीन वर्षों से संबंधित विभाग के अपवंचन रोधी विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.16: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व.14	2,606	4,737	813
वि.व.15	2,123	4,335	546
वि.व.16	2,366	5,297	804

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया है कि वि.व. 16 में डीजीसीईआई द्वारा जांच के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या वि.व. 15 की तुलना में बढ़ी है।

1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

करदाताओं द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान के अलावा, कई विधियॉ है जिनसे विभाग करदाताओं द्वारा देय पर प्रदत्त न किए गए राजस्व संग्रहण करता है। इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.17 में तालिकाबद्ध किए गए हैं।

तालिका 1.17: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि.व. 15 के दौरान वसूली	वि.व. 16 के दौरान वसूली
1	अन्तरिक लेखापरीक्षा	569	368
2	अपवंचन - रोधी	357	376
3	पुष्टिकृत मांगे*	1,262	791
4	विवरणियों की संवीक्षा	447	297
5	चूककर्ताओं से वसूली**	1,244	2,871
6	अन्य***	198	324
	कुल	**4,077**	**5,027**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

* एससीएन के अधिनिर्णय करने के पश्चात

** चूककर्ता से वसूली एससीएन जारी करने तथा उसके अधिनिर्णय के पश्चात की जाती है

*** ब्याज/विलम्ब फाइलिंग शुल्क आदि

वि.व. 16 के दौरान कुल केंद्रीय उत्पाद संग्रहण शुल्क ₹ 2,87,149 करोड़ है जिसमें से केवल ₹ 5,027 करोड़ विभागीय प्रयासों के कारण संग्रहीत किया गया है जो कुल राजस्व का केवल 1.75 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा (₹ 368 करोड़) के तहत ऊपर दर्शाया गया राजस्व संग्रहण तालिका 1.14 (₹ 987 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार अपंवचन रोधी (₹ 376 करोड़) के अन्तर्गत ऊपर दर्शायी गई वसूली तालिका 1.16 (₹ 804 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाती।

1.19 संग्रहण की लागत

नीचे तालिका राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.18: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियॉ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व.14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81
वि.व.15	1,89,038	1,67,969	3,57,007	2,950	0.83
वि.व.16	2,87,149	2,11,415	4,98,564	3,162	0.63

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

यह देखा गया कि संग्रहण की लागत कुल प्राप्तियों के एक प्रतिशत से कम है।

1.20 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अंनतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.19 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.19: विभागीय प्राधिकारी के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित मामले		1 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित मामलों की संख्या
	संख्या	राशि	
वि.व.14	20,428	21,734	3,142
वि.व.15	27,425	23,765	4,984
वि.व.16	23,014	29,355	3,637

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया कि ₹ 29,355 करोड़ के शुल्क से संबंधित मामले 31 मार्च 2016 तक अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे। यह भी पाया गया कि 3,637 मामले

एक वर्ष से अधिक के लिए लम्बित थे। मंत्रालय लंम्बित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए उपाय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि बडी संख्या में राजस्व अवरूद्ध है।

1.21 अपीलीय मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, व्याख्या इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी प्रतिरोधी वसूली उपायों का सहारा लेता है। अत: राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.20 में विभिन्न फोरम से मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.20 (क) : केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अपीलों का लम्बन

वर्ष	फोरम	वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलें					
		पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		जोड़	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
वि.व.14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटेट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	निपटान आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	जोड़	**71,860**	**108,926**	**27,121**	**28,318**	**98,981**	**1,37,244**
वि.व.15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटेट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	निपटान आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	जोड़	**76,874**	**1,24,935**	**27,559**	**30,554**	**1,04,433**	**1,55,489**
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	766	3,112	1,525	7,437	2,291	10,549
	उच्च न्यायालय	5,663	13,507	4,900	11,073	10,563	24,580
	सेसटेट	48,071	1,20,689	15,159	24,396	63,230	1,45,085
	निपटान आयोग	129	192	0	0	129	192
	कमिश्नर (अपील)	26,821	7,814	4,534	766	31,355	8,580
	जोड़	**81,450**	**1,45,314**	**26,118**	**43,672**	**1,07,568**	**1,88,986**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया कि विभिन्न स्तरों पर ₹ 1,88,986 करोड़ के राजस्व के मामले लम्बित थे, जिनमें से ₹ 92,162 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित थे। इस राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

विभिन्न फोरम में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील मामलों का निपटान नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.21 (ख): वर्ष के दौरान निर्णीत मामलों का विघटन

वर्ष	फोरम	विभागीय अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	वापिस भेजे गये	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	पार्टी के विरूद्ध निर्णय	वापिस भेजे गये	पार्टी की सफल अपील का %
वि.व.14	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1,247	223	20.50
	सेसटेट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	जोड़	**1,603**	**3,092**	**209**	**32.69**	**9,771**	**16,293**	**2,497**	**34.21**
वि.व.15	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1,397	206	21.80
	सेसटेट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	जोड़	**1,187**	**2,851**	**451**	**26.44**	**6,920**	**12,587**	**3,040**	**30.69**
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	64	465	29	11.47	110	77	16	54.19
	उच्च न्यायालय	216	926	56	18.03	289	456	123	33.29
	सेसटेट	666	1,619	165	27.18	2,415	856	742	60.18
	कमिश्नर (अपील)	443	525	12	45.20	3,561	3,311	219	50.22
	जोड़	**1,389**	**3,535**	**262**	**26.81**	**6,375**	**4,700**	**1,100**	**52.20**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया कि अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि.व. 14 में 32.69 प्रतिशत से गिर कर वि.व. 16 में 26.81 प्रतिशत हो गया। जब विभाग उच्च न्यायालय (वि.व. 14 में 34 प्रतिशत से वि.व. 16 में 18 प्रतिशत) और उच्चतम न्यायालय (वि.व. 14 में 19 प्रतिशत और वि.व. 16 में 11 प्रतिशत) में अपील के लिये गया तब सफलता अनुपात में अत्यधिक गिरावट रजिस्टर की गई।

1.22 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगति

हमने इस अध्याय को मुख्य रूप से सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। मंत्रालय वि.व. 15 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा (पैराग्राफ 1.12.2 देखें) और प्रतिदाय मामलों के निपटान (पैराग्राफ 1.13) से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि डाटा का फोर्मेट और डाटा के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नवम्बर 2014 में संशोधित किया गया था। इससे पता चलता है कि सीबीईसी में प्रबंधन के परिवर्तन के दौरान महत्वपूर्ण डाटा के अनुरक्षण की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि विभिन्न स्रातों से प्राप्त समान डाटा मेल नहीं खा रहा है (पैराग्राफ 1.18) और कुछ मामलों में, इस वर्ष प्रस्तुत किया गया डाटा 2016 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 2 (पैराग्राफ 1.9, 1.12.1 और 1.12.2) के लिए प्रस्तुत डाटा से मेल नहीं खा रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में डाटा अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

1.23 लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिनियम (संशोधित अनुसार) के अनुसार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानक, 2$^{सरे}$ भाग के अनुसार की गई थी।

1.24 सूचना के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी में मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों और उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की जांच अन्य पणधारकों की रिपोर्टों के साथ एमटीआर सीबीईसी की एमआईएस का उपयोग किया गया। महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में हमारे पास नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होनें वि.व. 16 में 1082 (सीएक्स और एसटी) यूनिटों की लेखापरीक्षा की।

1.25 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में 93 पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 178.68 करोड़ का मौद्रिक मूल्य शामिल है। सामान्यतया चार प्रकार की आपत्तियां थीं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता और अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 132.13 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 79 पैराग्राफों के मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की और 48 मामलों में ₹ 30.44 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.26 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (मौजूदा वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने ₹ 703.88 करोड़ वाले 374 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि.व.12	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	कुल
शामिल पैराग्राफ		सं.	87	62	68	64	93	374
		राशि	69.32	182.90	125.11	147.87	178.68	703.88
स्वीकृत पैराग्राफ	पूर्व प्रकाशन	सं.	85	58	60	47	79	329
		राशि	67.07	179.44	90.71	135.85	132.13	605.20
	पश्च प्रकाशन	सं.	2	-	1	2	-	5
		राशि	8.34	-	0.36	1.20	-	9.90
	जोड	सं.	87	58	61	49	79	334
		राशि	75.41	179.44	91.07	137.05	132.13	615.10
प्रभावित वसूलियां	पूर्व प्रकाशन	सं.	48	36	28	30	48	190
		राशि	24.72	21.29	27.44	27.95	30.44	131.84
	पश्च प्रकाशन	सं.	1	1	3	2	-	7
		राशि	0.04	0.56	3.09	1.20	-	4.89
	जोड	सं.	49	37	31	32	48	197
		राशि	24.76	21.85	30.53	29.15	30.44	136.73

स्रोत: सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मंत्रालय ने ₹ 615.10 करोड़ वाले 334 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 136.73 करोड़ की वसूलियाँ की थी।